



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बांसवाडा की अनुशंसा के आधार पर श्रीमती विमला नायक, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, भीमपुर-गढ़ी जिला बांसवाडा को दिनांक-26.04.2022 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक दिव्यांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।


इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का दिव्यांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।




(गौरव अग्रवाल)
आई.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/दिव्यांग भत्ता/2020/232 दिनांक- 09/05/22
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग, उदयपुर
- 2-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बांसवाडा
- 3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 4-प्रधानाचार्य, राउमावि, भीमपुर-गढ़ी जिला बांसवाडा को श्रीमती विमला नायक, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 5-श्रीमती विमला नायक, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, भीमपुर-गढ़ी जिला बांसवाडा
- 6-रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर